वाद संख्या 282/2023
निर्मला बनाम भूमिधारी

2-10-2023 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। बहस वकील वादी सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 815, 816, 817, 836, 837 किता 5 रकबा 2.92 हैक्ट ग्राम चला की ढाणी के 1/8 हिस्से की खातेदारी वादिया को विरासत में प्राप्त हुई है। बचपन में वादिया को घर परिवार में प्यार से नीम्बू देवी के नाम से भी बुलाया जाता था इसलिये विरासत के ना0क0 के समय वादिया का नाम निम्बू देवी दर्ज हो गया जबकि वादिया का सही नाम निर्मला देवी है। दस्तावेज पेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.11.30 14:06:30 IST
Reason: SelfAttested

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

किये है जिसमें भी वादिया का सही नाम निर्मला देवी दर्ज है। पटवारी हल्का, गिरदावर जी एवं तहसीलदार जी ने भी अपनी रिपोर्ट में वादिया का नाम निम्बू देवी के बजाय निर्मला देवी दुरूस्त किये जाने की अभिशंषा की है। अतः दावा वादिया स्वीकार किया जावें एवं वादगस्त भूमि में वादिया का नाम निम्बू देवी के स्थान पर निर्मला देवी दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जावें।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेज एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का मंढोली, तहसीलदार नीमकाथाना का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि 815, 816, 817, 836, 837 किता 5 रकबा 2.92 हैक्ट ग्राम चला की ढाणी पटवार हल्का मंढोली में वादिया का नाम निम्बू देवी पुत्री ग्यारसीलाल हिस्सा 1/8 जाति बलाई सा. देह दर्ज रिकार्ड है। जबकि वादिया द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मतदाता पहिचान पत्र, टी.सी रा.बा.उ.मा.वि. छावनी, आयकर प्रमाण पत्र स्वयं का शपथ पर में वादिया का नाम निर्मला देवी पुत्री ग्यारसीलाल दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी हल्का, गिरदावर हल्का एवं तहसीलदार नीमकाथाना से भी वादिया का सही नाम निर्मला देवी पुत्री ग्यारसीलाल होने की पुष्टि होती है। अतः प्रस्तुत रिकार्ड, दस्तावेज रिपोर्ट पटवारी हल्का, गिरदावर हल्का एवं तहसीलदार नीमकाथाना के आधार पर दावा वादिया साबित होने से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादिया स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा ग्राम चला की ढाणी पटवार हल्का मंढोली तहसील नीमकाथाना में दर्ज खातेदार निम्बू देवी पुत्री ग्यारसीलाल के स्थान पर निर्मला देवी पुत्री ग्यारसीलाल दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती हेतु पर्चा डिकी मुर्तीव हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.11.30 14:06:30 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय सरे [illegible] सुनाया गया।

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)